न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर जिला अलवर

पीठासीन अधिकारी श्री कनिष्क सैनीा आर ए एस

राजस्व वाद संख्या 1/219/2015

वउनवान

1. बच्चू पुत्र हरीसिंह जाति जाट निवासी ईसरोती तहसील कठूमर

वादी

बनाम

1. कैलाश पुत्र हरीसिंह जाति जाट निवासी ईसरोती
2. प्रकाश पुत्र हरीसिंह जाति जाट निवासी ईसरोती
3. रामावतार पुत्र हरीसिंह जाति जाट निवासी ईसरोती
4. महेन्द्र पुत्र छोटे जाति जाट निवासी ईसरोती
5. बृजमोहन दत्तक पुत्र हरचन्द नाबालिग जरिये सपरस्त पिता कैलाशचन्द जाति जाट निवासी ईसरोती
6. सिया पत्नी रामहंस जाति जाट निवासी ईसरोती तहसील कठूमर जिला अलवर
7. उप पंजीयक कठूमर
8. तहसीलदार कठूमर वहैसियत लैण्ड होल्डर तहसीलदार कठूमर

प्रतिवादीगण

दावा तकसीम वो हुक्मइन्तनाई दवामी

उपस्थित :–

श्री भीमसिंह राणा– एडवोकेट – वकील वादी

निर्णय दिनांक 28.02.2018

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि आराजी खसरा नम्बर 536 रकवा 1.07 हे. वाके ग्राम ईसरोता तहसील कठूमर में स्थित है। वादी के पिता हरीसिंह पुत्र छोटे का स्वर्गवास हो चुका है। लेकिन विवादित आराजी वावत अभी मृतक पिता हरीसिंह का उनके वारिसान वादी एंव प्रतिवादी संख्या 1 ला03 के नाम विरासत का इन्तकाल खुल चुका है। उपरोक्त विवादित आराजी वादी के 1/16 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1ला03

के 3/16 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 4 के 1/4 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 5 के 1/4 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 6 के 1/4 हिस्सा की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। विवादित आराजी वादी एंव प्रतिवादीगण की जोइण्ट होल्डिंग की आराजी है वादी एंव प्रतिवादीगण अपने अपने हिस्सा अनुसार शामलात में काविज रहकर काश्त करते चले आ रहे है। जिस आराजी का अभी कानूनी तकासमा नहीं हुआ है। लगान पक्षकारान शामलात में ही अदा कर रहे है। प्रतिवादीगण जबर्दस्त व्यक्ति हैं जो उक्त आराजी में वादी के शामलात कब्जे काश्त में बाधा पैदा करते है। वादी ने प्रतिवादीगण से विवादित आराजी के कानूनी तकासमा वावत कहा तो प्रतिवादीगण ने साफ इन्कार कर दिया। प्रतिवादीगण विवादित आराजी में वादी के कब्जे काश्त में बाधा पैदा करते है। अतः वादी विवादित आराजी में अपने 1/16 हिस्सा की आराजी तकसीम कराने राजस्व रेकार्ड में अपने नाम अलग खाते खुलवाने व प्रतिवादीगण को पाबन्द कराने का अधिकारी है। अतः दावा वादी मुताविक अनुतोष डिक्री किया जावे।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलव किया गया। प्रतिवादीगण वावजूद तामील उपस्थित नहीं आये जिनके विरूद्व एकपक्षिय कार्यवाही जाकर दावा वादी दिनांक 24.06.2013 को प्रारम्भिक रूप से डिक्री किया जाकर तहसीलदार कठूमर से कुरेजात रिपोर्ट तलव की गयी।

तहसीलदार कठूमर ने अपनी कुरेजात रिपोर्ट दिनांक 12.02.2018 को हाजिर अदालत होकर पेश की है जो शामिल पत्रावली है।

हमने पत्रावली के तथ्यों प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड व कुरेजात रिपोर्ट तहसीलदार का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्ता वादी की वहस सुनी गयी। कुरेजात रिपोर्ट तहसीलदार पर किसी पक्ष ने कोई आपत्ति नहीं की है।

अतः मुताविक कुरेंजात रिपोर्ट तहसीलदार कठूमर दावा वादी अंतिम रूप से डिक्री किये जाने योग्य पाया जाता है।

आदेश

अतः दावा वादी मुताविक कुरेजात रिपोर्ट तहसीलदार कठूमर अंतिम रूप से डिक्री किया जाकर आराजी खसरा नम्बर 538 रकवा 0.13 हे0 वादी बच्चूसिंह को खसरा नम्बर 536/2 रकवा 0.26 हे. प्रतिवादी संख्या 4 महेन्द्रसिंह को खसरा नम्बर 536/1 रकवा 0.26 हे. प्रतिवादनी संख्या 6 सिया पत्नी रामहंस को खसरा नम्बर 536/3 रकवा 0.39 हे. वाके ग्राम ईसरोता तहसील कठूमर प्रतिवादी संख्या 5 बृजमोहन व मीना पुत्री कैलाश, मनोज उर्फ छोटा पुत्र कैलाश को तकसीम में दिये जाते है। तहसीलदार कठूमर को आदेश है कि वो उक्तानुसार वादी एंव प्रतिवादीगण के नाम राजस्व रेकार्ड में अलग अलग खातेदारी का नवीन अंकन व नक्शा ट्रेस में तरमीम करें। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो वो वाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

कनिष्क सैनी
उपखण्ड अधिकारी कठूमर

आज दिनांक 28.02.2018 को यह निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

कनिष्क सैनी
उपखण्ड अधिकारी कठूमर

पर्चा डिक्री

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर जिला अलवर

पीठासीन अधिकारी श्री कनिष्क सैनी आर ए एस

राजस्व वाद संख्या 1/219/2015

वउनवान

1. बच्चू पुत्र हरीसिंह जाति जाट निवासी ईसरोती तहसील कठूमर

डिक्रीदार

बनाम

1. कैलाश पुत्र हरीसिंह जाति जाट निवासी ईसरोती
2. प्रकाश पुत्र हरीसिंह जाति जाट निवासी ईसरोती
3. रामावतार पुत्र हरीसिंह जाति जाट निवासी ईसरोती
4. महेन्द्र पुत्र छोटे जाति जाट निवासी ईसरोती
5. बृजमोहन दत्तक पुत्र हरचन्द नाबालिग जरिये सपरस्त पिता कैलाशचन्द जाति जाट निवासी ईसरोती
6. सिया पत्नी रामहंस जाति जाट निवासी ईसरोती तहसील कठूमर जिला अलवर
7. उप पंजीयक कठूमर
8. तहसीलदार कठूमर वहैसियत लैण्ड होल्डर तहसीलदार कठूमर

प्रतिवादीगण

दावा तकसीम वो हुक्मइन्तनाई दवामी

अतः दावा वादी मुताविक कुरेजात रिपोर्ट तहसीलदार कठूमर अंतिम रूप से डिक्री किया जाकर आराजी खसरा नम्बर 538 रकवा 0.13 हे0 वादी बच्चूसिंह को खसरा नम्बर 536/2 रकवा 0.26 हे. प्रतिवादी संख्या 4 महेन्द्रसिंह को खसरा नम्बर 536/1 रकवा 0.26 हे. प्रतिवादनी संख्या 6 सिया पत्नी रामहंस को खसरा नम्बर 536/3 रकवा 0.39 हे. वाके ग्राम ईसरोता तहसील कठूमर प्रतिवादी संख्या 5 बृजमोहन व मीना पुत्री कैलाश, मनोज उर्फ छोटा पुत्र कैलाश को तकसीम में दिये जाते है। तहसीलदार कठूमर को आदेश है कि वो उक्तानुसार वादी एंव प्रतिवादीगण के नाम राजस्व रेकार्ड में अलग अलग खातेदारी का नवीन अंकन व नक्शा ट्रेस में तरमीम करें।

आज दिनांक 28.02.2018 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर वों मुहर अदालत से जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी कठूमर